न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61/प्रा.पत्र/2020	21.09.2020	06.01.2021

प्रभु लाल आ0 सुखदेव जाति मीणा निवसी डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नन्द सिंह

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी भूमि खसरा सं. 520/299 रकबा 1.5459 हे0वाके ग्राम ढसाल्या पटवार मण्डल राजपुरा तहसील तालेड़ा का भूमि धारणकर्ता खातेदार आसामी (टीनेंट) है तथा जोत (होल्डिंग) में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए राजकीय सिवायचक कृषि भूमि खसरा सं0 456/3 रकबा 6.1916 हे0 वाके ग्राम ढसाल्यापटवार मण्डल राजपुरा तहसील तालेड़ा में से होकर मार्ग बनाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में उक्त संदर्भ में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार तालेड़ा द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:–

क्र.सं.	बिन्दु	रिपोर्ट
1	जिन खसरा नंबरों पर पहुँच हेतु रास्ता आवेदित किया गया है उनके खसरा नंबर एवं रकबा।	ख.नं. 520/299 रकबा 1.5459 हे0 वाके ग्राम ढसाल्या आवेदक खातेदार प्रभुलाल आ0 सुखदेवा मीना दर्ज रेकार्ड है।
2	जिन खसरा नम्बरों से होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता/प्रस्तावित रास्ता गुजरे उनका नंबर व रकबा।	ग्राम ढसाल्या ख.नं. 456/3 रकबा 6.1916 हे0में से रास्ता चाहा गया है।
3	उक्त प्रस्तावित रास्ते से प्रभावित होने वाले काश्तकार मय खसरा	ख.नं. 456/3 रकबा 6.1916 हे0 है, जो राजकीय सिवायचक भूमि है कि किस्म गे0मु0 बर्डा सिवायचक

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

	नंबरवार क्षेत्र।	बिलानामी से होकर गुजरता है।
4	उक्त रास्ते हेतु कुल कितनी भूमि दर्ज होगी तथा कितनी लंबाई–चौड़ाई की होगी।	ख.नं. 456/3 किस्म गे0मु0 बर्डा सिवायचक बिलानामीरास्ते हेतु चाही गई भूमि 0.0886 हे0 (97 मी0 लम्बा, 9.147 मी0 चौड़ा) है।
5	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर।	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 97 X 9.147 मी0 =886.58 वर्ग मी0 की डी.एल.सी. दर 2,85,459 रू. पंजीयन कार्यालय तालेड़ा तहसील के अनुसार बनती है।
6	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए लेण्डहोल्डर को देय राशि।	वर्तमान डी.एल.सी. दर की राशि :– 285459/–

लेण्ड होल्डर (तहसीलदार तालेड़ा) को वर्तमान डीएलसी दर की राशि 285459/–रूपये देय है। मूल आदेश, नकल जमाबंदी खसरा संख्या 520/299 तथा खसरा संख्या 456/3 नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत की तथा दौराने बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 520/299 रकबा 1.5459 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसालिया, पटवार मण्डल राजपुरा, तहसील तालेड़ा का भूमि धारणकर्ता खातेदार आसामी (टीनेंट) है तथा जोत (होल्डिंग) में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए राज्य सरकार की भूमि खसरा संख्या 456/3 रकबा 6.1916 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसालिया, पटवार मण्डल राजपुरा, तहसील तालेड़ा में से होकर मार्ग बनाना चाहता है। प्रार्थी को भूमि खसरा संख्या 520/299 रकबा 1.5459 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसालिया, पटवार मण्डल राजपुरा, तहसील तालेड़ा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए रास्ते की महती आवश्यकता है। उक्त आराजी में पहुँच हेतु अप्रार्थीगण राज्य सरकार की जोत भूमि खसरा संख्या 456/3 रकबा 6.1916 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसालिया, पटवार मण्डल राजपुरा, तहसील तालेड़ा में से होकर ही एक मात्र मार्ग है तथा जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 520/299 रकबा 1.5459 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसालिया, पटवार मण्डल राजपुरा, तहसील तालेड़ा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए राज्य सरकार की जोत भूमि खसरा संख्या 456/3 रकबा 6.1916 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसालिया, पटवार मण्डल राजपुरा, तहसील तालेड़ा में से पृष्ठांकित नक्शानुसार लम्बाई 97 मीटर व चौड़ाई 9.147 मीटर कुल 886.58 वर्गमीटर भूमि पर नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से वर्तमान डी.एल.सी. दर की राशि 285459/—रूपये राजकोष मे भुगतान किये जावे। प्रार्थी रास्ता के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में ही करेगा, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

Scanned with CamScanner